(भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-।।, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 12/2019 – एकीकृत कर (दर)

नई दिल्ली, दिनांक 31 जुलाई, 2019

सा.का.नि........ (अ.)- केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 15 की उप धारा (5) के साथ पठित एकीकृत माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 5 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 1/2017-एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 जिसे सा.का.नि. 666 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-।।, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में,-

(क) अनुसूची I - 5% में,

(i) क्रम संख्या 234 क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:-

“234 ख	8504	विद्‍युत चालित वाहन के चार्जर या चार्जिंग स्टेशन”;

(ii) क्रम संख्या 242 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:-

“242 क	87	विद्‍युत चालित वाहन, जिसमें दो और तीन पहिया वाले विद्‍युत मोटर वाहन भी आते हैं स्पष्टीकरण.- इस प्रविष्टि के प्रयोजनों के लिए, "विद्‍युत चालित वाहन" का अर्थ ऐसे वाहन से है जो पूरी तरह से विद्‍युत ऊर्जा से चलते हैं। यह विद्‍युत ऊर्जा या तो बाहरी स्रोत से आती है या सड़क वाहनों में फिट किए गए एक या एक से अधिक विद्‍युत बैटरी से आती है। इन विद्‍युत चालित वाहनो में ई-साइकिल भी शामिल होंगे।”;

(ख) अनुसूची II – 12% में, क्रम संख्या 206 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा ;

(ग) अनुसूची III - 18% में, क्रम संख्या 375 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि में शब्द "इन्डक्टर्स" के पश्चात "विद्युत चालित वाहनों के चार्जर या चार्जिंग स्टेशन से भिन्न" शब्दों को अंत:स्थापित किया जाएगा ।

2. यह अधिसूचना दिनांक 1 अगस्त, 2019 से लागू होगी ।

(फाइल संख्या 354/47/2018-टीआरयू)

(गुंजन कुमार वर्मा)
अवर सचिव, भारत सरकार

नोट: प्रधान अधिसूचना संख्या 1/2017-एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि 666 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 25/2018-एकीकृत कर (दर), दिनांक 31 दिसम्बर, 2018, जिसे सा.का.नि 1264 (अ), दिनांक 31 दिसम्बर, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है ।